न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 18/2021

जयकिशन पुत्र श्री शकंरलाल जाति सिन्धी निवासी, एल आर भवन, वार्ड नम्बर 25, सिन्धा मोहल्ला हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़

अपीलांट

बनाम—

1. शकंरलाल पुत्र श्री लेखराम जाति सिन्धी निवासी, एल आर भवन, वार्ड नम्बर 25, मोहल्ला हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. मनोजकुमार पुत्र शंकरलाल जाति सिन्धी निवासी एल आर भवन, वार्ड नम्बर 25, सिन्धी मोहल्ला हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. ईश्वरदास पुत्र श्री गोविन्दराम जाति सिन्धी निवासी वार्ड नम्बर 25, सिन्धी मोहल्ला हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. झांगीलाल पुत्र श्री गोविन्दराम जाति सिन्धी निवासी वार्ड नम्बर 25, सिन्धी मोहल्ला हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।
5. दीपककुमार पुत्र उर्फ चेलाराम पुत्र गोविन्दराम जाति सिन्धी निवासी वार्ड नम्बर 25, सिन्धी मोहल्ला हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।
6. महेन्द्रपाल पुत्र श्री गजानन्द जाति अग्रवाल निवासी धान मण्डी, हनुमानगढ़ टाऊन हाल निवासी दूकान नम्बर 15—16 नई धान मण्डी, मुक्तसर तहसील व जिला मुक्तसर।
7. मधुबाला पत्नी श्री पवनकुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 25, किरयाना भवन के पास,हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. अमितकुमार पुत्र श्री ताराचंद जाति अग्रवाल निवासी प्रोफेसर कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाऊनतहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. दिनेश गोयल पुत्र श्री संतलाल जाति अग्रवाल निवासी हाल एस्सार पैट्रोल पम्प, गुरू हरसहाय, तहसील गुरू हरसहाय जिला फिरोजपुर ।
10. गुरतेजसिहं पुत्र श्री शेरसिहं जाति जटसिख निवासी चकः ज्वालासिहंवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।
11. लखवीरसिहं पुत्र श्री गुरतेजसिहं जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहंवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 13—1—2021 प्रकरण संख्या 7/2021 न्यायालय तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ जिसके अन्तर्गत मुश्तरका खाता की भूमि का विभाजन किया गया, जबकि उक्त सम्पति की बाबत दीवानी वाद लम्बित है और स्थगन प्रभावी है, बमूराद मनसुखी ।

उपस्थितः— 1. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री खुशप्रीत सिंहरेस्पो0 सं0 01
3. श्री राजेशदीप राय रेस्पो0 सं0 2 ता 11
4. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः —28.05.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.31 18:05:16 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य सं[illegible] प्रकार हैं कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 रेस्पोन्डेन्ट संख्या [illegible] और पुत्र सेवकराम है। अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 [illegible] विरुद्ध सयुंक्त हिन्दू परिवार द्वारा पैत्रक सम्पति की आय से अर्जित विभिन्न सम्पतियों की बाबत एक विभा[illegible] का वाद अनवानी जयकिशन बनाम शकंरलाल आदि [illegible] संख्या 70/2018 जि[illegible] न्यायाधीश महोदय हनुमानगढ़ में प्रस्तुत किया था जो बाद में अपर जिला न्यायाधीश

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

संख्या 2, हनुमानगढ़ को मुन्तकिल किया गया। वाद के अन्तर्गत सभी रेस्पोन्डेन्टान पक्षकार है और उन्हे यह बखूबी मालुम है कि प्रश्नगत सम्पति की बाबत दीवानी वाद न्यायालय में लम्बित है। प्रमाणित प्रतिलिपि अपील के साथ सलंग्न है।

अपीलान्ट ने वाद के अनुसरण में एक स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सी पी सी प्रस्तुत किया। जिसमें रेस्पोन्डेन्ट ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया और माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, हनुमानगढ़ ने गुणावगुण के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 19–12–2018 को स्वीकार किया गया। प्रश्नगत कृषि भूमि वाके चक नम्बर 49 एन जी सी खाता संख्या 149/138 मुश्तरका खाता महेन्द्रपाल आदि है जिसमें सभी मुश्तरका खातेदारान का हिस्सा है। रेस्पो0 संख्या 1 के नाम 0.3548 हैक्टेयर रक्बा है एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के नाम से 0.1525 हैक्टेयर रकबा दर्ज कागजात पटवार माल है। इसी प्रकार से अन्य रेस्पोन्डेन्टान के नाम से भूमि मुश्तरका खाता में अंकित है। यही कृषि भूमि अपीलान्ट द्वारा दायर दीवानी वाद में पैरा संख्या 19,20 में पूर्ण विवरण सहित अंकित है। इसी प्रकार विविध दीवानी प्रकरण के पैरा 33 में विवरण अंकित किया गया है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय संख्या 2 हनुमानगढ़ द्वारा पारित स्थगन आदेश का निर्णय दिनांक 19–12–2018 की प्रतियों को सलग्न करते हुए अपीलान्ट ने संबंधित तहसीलदार, उप पंजीयक, संबंधित बैंक को प्रार्थना पत्र के साथ इसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक दे दी थी एवं पटवारी हल्का को इसकी फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। स्वयं तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ अपीलान्ट द्वारा दायर दीवानी वाद व विविध दीवानी प्रकरण संख्या 77 / 2018 में बतौर अप्रार्थी संख्या 13 पक्षकार है। इन सबके बावजूद रेस्पोन्डेन्टान ने आपस में दुरभि सन्धि करते हुए और कानून को ताक पर रखते हुए आपसी सहमति से उपरोक्त मुश्तरका खाता संख्या 149 / 138 का विभाजन करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को दिनांक 11–1–2021 को प्रार्थना पत्र मय अनुबन्ध पत्र अपने – अपने हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 नेपटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की। मूल प्रार्थना पत्र के पीछे ही पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13–1–2021 को रिपोर्ट की गई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा पहले स्थगन प्राप्त लिखा गया, तत्पश्चात स्थगन व प्राप्त को जोड़ते हुए ही बीच में "अ" अंकित कर दिया। जिसका तात्पर्य स्थगन अप्राप्त है, इसके अलावा भी रिपोर्ट में शब्दों में कटिंग करते हुए ओवर राईटिगं की गई है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि पटवारी हल्का को यह ज्ञात था कि इस मामले में स्थगन है परन्तु रेस्पोन्डेन्टान के प्रभाव में आकर प्राप्त को अप्राप्त किया गया है।

रेस्पोन्डेन्टान द्वारा तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ ने कृषि भूमि से संबंधित स्थगन है अथवा नहीं है, इस बारे में कोई साक्ष्य अथवा शपथ नहीं लिया गया है जबकि यह कानूनी व आवश्यक प्रावधान है कि जिस कृषि भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करवाया जा रहा है, उसकी बाबत अन्य अदालत में कोई वाद / विवाद लम्बित नहीं है और ना ही कोई स्थगन है। परन्तु इस कानूनी प्रक्रिया की कोई पालना अधिनस्थ न्यायालय ने नहीं की और ना ही पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट का स्पष्टिकरण मांगा गया। प्रश्नगत सम्पति जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 2 के नाम से अंकित है, उसमेंअपीलान्ट का भी हक व हिस्सा है जो वादाधीन है। अपीलान्ट को अथवा रेस्पान्डेन्टान संख्या 1 ,2 को कितना – कितना हिस्सा मिलेगा और कहां कहां मिलेगा, यह मामला अभी दीवानी न्यायालय में लम्बित है जिसका निर्णय अभी होना है परन्तु प्रश्नगत भूमि के विषय में स्थगन आदेश प्रभाव है इसलिए उसका विभाजन किया जाना कतई विधि विरूद्ध है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। विभाजन से पूर्व कानूनी प्रक्रिया की कोई पालना नहीं की गई है। इसलिए तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–1–2021 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत भूमि सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों द्वारा सयुंक्त रूप से अर्जित की गई है, इसलिए अपीलान्ट का इसमें रेस्पोन्डेन्टान संख्या 1,2 के नाम दर्ज भूमि में हिस्सा है। इसलिए अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय से एक दुखी पक्षकार है और सीधे तौर पर प्रभावित होता है। क्योंकि रेस्पोन्डेन्टान संख्या 12 ने विभाजन में प्राप्त हुई कृषि भूमि को विक्रय करने हेतु दलालों से बातचीत शुरू कर दी है। रेस्पोन्डेन्टान संख्या 1, 2 द्वारा भूमि विक्रय कर दी जाती है तो अपीलान्ट के विधिक अधिकारों को विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपीलान्ट पीड़ित

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.31 18:05:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पक्षकार होने के कारण यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। जिसके लिए अलग से धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टान संख्या 1, 2 सभी एक ही मकान में रहते है। दिनांक 25–7–2021 को रेस्पोन्डेन्टान संख्या 1, 2 आपस में प्रश्नगत कृषि भूमि को विक्रय करने की बाबत बातचीत सुनी और विभाजन की बात सुनी। तब अपीलान्ट ने दिनांक 26–7–2021 को पटवारी हल्का से सम्पर्क किया और रिकार्ड देखा तो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–1–2021 का ज्ञान हुआ। अपीलान्ट ने उसी रोज पत्रावली की नकूलात प्राप्त करनेहेतु नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 26–7–2021 को ही अपीलान्ट को नकूलात प्राप्त हो गई। दिनांक 25–7–2021 से पूर्व अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय का कोई ज्ञान नहीं था। सर्व प्रथम दिनांक 25–7–2021 को रेस्पोन्डेन्टान संख्या 1, 2 की आपसी बातचीत से मालुम हुआ। मियाद हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र सलंग्न अपील है। प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र दिनांक 11–1–2021 व निर्णय दिनांक 13–1–2021 अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। रेस्पोन्डेन्टान संख्या 1, 2 प्रश्न कृषि भूमि वाके चक नम्बर 49 एन जी सी खाता संख्या 149/138 पत्थर नम्बर 131 / 256 मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 7 = 0. 253,14/2 = 0.190 व किला नम्बर 5 / 1 = .0643 हैक्टेयर नाली प्रथम जो रेस्पोन्डेन्टान संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अकिंत है, को विक्रय करने पर आमादा है। जिस हेतु उन्होने कई दलालों से बातचीत भी कर ली है। इसलिए रेस्पोन्डेन्टान के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। जिस हेतु अलग से स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। अपील अपीलान्ट इल्म से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–1–2021 प्रकरण संख्या 7/2021 को निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 ता 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट 12 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मूल प्रार्थना पत्र के पीछे ही पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13–1–2021 को रिपोर्ट की गई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा पहले स्थगन प्राप्त लिखा गया, तत्पश्चात स्थगन व प्राप्त को जोड़ते हुए ही बीच में "अ" अकिंत कर दिया। जिसका तात्पर्य स्थगन अप्राप्त है, इसके अलावा भी रिपोर्ट में शब्दों में कटिगं करते हुए ओवर राईटिगं की गई है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि पटवारी हल्का को यह ज्ञात था कि इस मामले में स्थगन है परन्तु रेस्पोन्डेन्टान के प्रभाव में आकर प्राप्त को अप्राप्त किया गया है। प्रश्नगत सम्पति जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1,2 के नाम से अकिंत है, उसमें अपीलान्ट का भी हक व हिस्सा है जो वादाधीन है। अपीलान्ट को अथवा रेस्पोन्डेन्टान संख्या 1,2 को कितना – कितना हिस्सा मिलेगा और कहां कहां मिलेगा, यह मामला अभी दीवानी न्यायालय में लम्बित है जिसका निर्णय अभी होना है परन्तु प्रश्नगत भूमि के विषय में स्थगन आदेश प्रभाव है इसलिए उसका विभाजन किया जाना कतई विधि विरूद्ध है और प्राकृतिक न्याय के सिधान्तों के विपरीत है। अतः अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–1–2021 प्रकरण संख्या 7/2021 को निरस्त किया जावे। बहस के समर्थन में RBJ(27) 2020 Page 163 Rajasthan Rajya Bich Nigman Ltd v/s Nand Kishore न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किये कि अपीलांट ने अपनी मिमो ऑफ अपील में माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 19.12.2018 के अन्तर्गत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के कथन किये है जो कतई गलत व झूठ है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2018 को अपीलांट जयकिशन द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एस०एल० टावर व एल0आर0 कर्मचन्दानी कॉम्पलैक्स के अलावा स्वंय के नाम से खरीदी हुई आवेदन वाद संख्या 33 में बताई गई किसी भी सम्पति को विक्रय अथवा अन्तरण नहीं करने के आदेश पारित किये है तथा शेष रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध स्थगन प्राप्त खारिज करने के आदेश पारित किये है अर्थात

30-1

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.31 18:05:16 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध भूमि को विक्रय अथवा अन्तरण नहीं करने की हद तक आदेश है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न तो विक्रय की है व ना ही अन्तरित की है। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि विक्रय अथवा अन्तरण की जाती तो अपीलांट सक्षम न्यायालय में कनटैप्ट की कार्यवाही करता, ऐसी कोई कार्यवाही आक्षेपित आदेश को लेकर अपीलांट द्वारा नही की गई है।रेस्पोडेन्ट ने आक्षेपित आदेश के जरिये खाता विभाजन करवाया है, उक्त आक्षेपित आदेश के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि ना तो विक्रय हुई है व ना ही अन्तरण हुई है, आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट का जितना हिस्सा था उतना आज भी है। खाता विभाजन की डिक्री को सहकाश्तकार ही चुनौती दे सकता अपीलांट प्रश्नगत भूमि में सहखातेदार नहीं है, इसलिए अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है।रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट का पिता है तथा प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज थी। अपीलांट अपने पिता के जीवित रहते आक्षेपित विभाजन की डिक्री को चुनौती नहीं दे सकता, इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1977 के पृष्ठ संख्या 95 व पृष्ठ संख्या 233 उक्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है। अपीलांट ने अपनी मिमो ऑफ अपील में पटवारी हल्का द्वारा स्थगन प्राप्त को बाद में "अ" शब्द अंकित कर स्थगन अपर्याप्त कर दिया, उक्त तथ्य अपीलांट के कतई गलत व मिथ्या है बल्कि हास्यस्पद है, रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने ऐसी कोई कटिंग नहीं की गई है, वस्तुतः अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 19.12.2018 आंशिक रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व पारित हुआ था, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रहन, बैय की हद तक पाबन्द किया गया था, इसलिए पटवारी हल्का ने उक्त शब्द का प्रयोग किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में यदि कोई अपीलांट का हक व हिस्सा होगा तो वह सिविल न्यायालय में वर्णित वाद में प्राप्त कर सकता है लेकिन खाता विभाजन के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अपीलांट को कोई अधिकार हासिल नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 11 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का अपीलांट को कोई अधिकार हासिल नहीं है तथा ना ही वह प्रभावित पक्षकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 11 को अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है। अपीलांट ने पटवारी हल्का पर निंदास्पद आरोप लगाये है, जो उक्त अपील से हटाये जाने योग्य है। अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहा है कि वह आक्षेपित आदेश से किसी प्रकार से प्रभावित है। धारा 96 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत मिथ्या कथन किये है। अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रश्नगत भूमि को विक्रय करने की बातचित सुनी होने व विभाजन की बात करने सम्बन्धी कथन मिथ्या किये है। इस सम्बन्ध में अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई विशिष्टीयां दर्ज नहीं की है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एक ही मकान में रहते हो, इस सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की । अपीलांट की अपील सारहीन है, जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है । बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1977 के पृष्ठ संख्या 95 व पृष्ठ संख्या 233 पेश किये।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट के विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अपीलांट सहखातेदार नहीं है, ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि इनको प्रश्नगत भूमि की विभाजन/नामान्तरण का ज्ञान नहीं हुआ हो। मेरी विनम्र राय में तकनीकि आधार पर प्रकरण खारिज नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर सुना जाना न्यायोचित है। अतः न्यायहित में अ[illegible] दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] मियाद [illegible] की जाती है।

इसके पश्चात अपीलां[illegible] धारा 96 सीपीसी पर गौर किया। प्रश्नगत अपील में अपीलांट [illegible]01 पिता–पुत्र है तथा संयुक्त परिवार द्वारा अर्जित संपति के संबंध में हिस्से का विवा[illegible] और अपीलांट का विधिक हक होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रार्थना अंतर्गत धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.31 18:05:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पत्रावली अवलोकन करने एवं उभयपक्षकारान की बहस के आधार पर निष्कर्ष निम्नवत है:–

1. प्रश्नगत आराजी में अपीलांट सहखातेदार/खातेदार नहीं है तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य विभिन्न वाद माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, ये स्वीकृत तथ्य है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 13.01.2021 तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा पक्षकारान/सहखातेदारान द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत कृषि भूमि विभाजन प्रस्ताव मे अनुबंध पत्र तादाती 500 रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का से रिकार्ड, मौका, स्थगन एवं विवाद के संबंध में रिपोर्ट लेकर धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत स्वीकार किया गया जो कानूनन सही है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों एवं दौराने बहस कटिंग कर स्थगन अप्राप्त होना गलत रूप से बताने का बार–बार कथन किया है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित पत्रावली के अवलोकन करने पर ये स्पष्ट है कि स्थगन प्राप्त होने के आगे "अ" लिखकर अप्राप्त बनाने का कथन प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता चूंकि पटवारी द्वारा की गयी संपूर्ण रिपोर्ट इस प्रकार है कि "महोदय, प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि व रकबा जमाबंदी अनुसार है। उक्त रकबा पर आज दिनांक तक विवाद/स्थगन अप्राप्त है। प्रार्थीगण विभाजन करवाना चाहते है। रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में पेश है।" संपूर्ण रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात अपीलांट का उक्त कथन साबित नहीं होता। प्रकरण में यदि ये माना भी जाये कि तहसीलदार एवं अन्य राजस्व कर्मियों द्वारा स्थगन आदेश की पालना नहीं की है और इस आधार पर तहसीलदार द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.01.2021 निरस्त किया जाये तो अपीलांट को सक्षम न्यायालय में अवमानना प्रकरण दायर कर आनुतोष प्राप्त करने का हक प्राप्त है। इस आधार पर मेरी विनम्र राय में अपील पोषणीय नहीं है किन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 01 शंकरलाल पुत्र लेखराम माननीय सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश बाबत बैय व अन्तरण नहीं करने से पाबंद रहेगा।
2. अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत स्थगन आदेश जिसकी प्रति संलग्न पत्रावली पेज सं0 12 पर "अप्रार्थी सं0 01 जो अपीलांट का पिता है, ताफैसला मूल वाद एस.एल. टॉवर तथा एल.आर. कर्मचंदानी कॉम्पलेक्स के अलावा स्वयं के नाम से खरीदी गयी आवेदन की मद सं0 33 में बतायी गयी किसी भी अचल संपंति को विक्रय या अन्तरण नहीं करें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ये आवेदन अन्य अप्रार्थीगण की हद तक खारिज किया जाता है। प्रार्थी के रिहायश के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका सं0 1989/2018 मे पारित आदेश की पालना की जावे" अंकित है। इससे स्पष्ट है कि कृषि भूमि के विभाजन पर अन्य सहखातेदारान के साथ–साथ रेस्पो0 सं0 01 जो अपीलांट के पिता है, अपनी खातेदारी की भूमि का अन्य सहखातेदारान से विभाजन करवाने से निवारित नहीं थे। यहां यह भी गौर तलब है कि यदि माननीय सिविल न्यायालय/अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलांट का कोई विधिक हक घोषित किया जाता है तो वह भी रेस्पो0 सं0 01 जो अपीलांट के पिता है, की खातेदारी भूमि में से ही संभावित है, अन्य सहखातेदारान की भूमि में अपीलांट का कोई हक निहित नहीं है। यह भी तथ्य है कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ उक्त स्थगन आदेश से पाबंद नहीं था।

उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील [illegible] होने के कारण खारिज की जाती है। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ के [illegible] 7/2021 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2021 यथावत रखा जाता है। [illegible] अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। [illegible] होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.31 18:05:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

(उम्मेदी लाल मीणा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ